

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110 016

क्रमांक.ला.ब.शा./राज भाषा/2018-19/344

दिनांक 17.07.2018

18

कार्यालयीय -आदेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग के पत्र सं.13035-5/2018 रा.भा.ए के वार्षिक कार्यक्रम पर हिन्दी राजभाषा कार्यन्वयन समिति की बैठक में दर्शाए बिन्दुओं पर की गई संस्तुति एवं प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित विभागों से पालन सुनिश्चित किया जाना अत्यावश्यक है।

1. हिन्दी में मूल पत्राचार(ई-मेल सहित) क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 'क' से ग क्षेत्र को 65% क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र को 100%
2. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर क, ख, ग, क्षेत्र को 100 प्रतिशत हिन्दी में दिया जाना चाहिए।
3. हिन्दी में टिप्पणी लेखन क क्षेत्र 75% ख क्षेत्र 50% ग क्षेत्र 30% टिप्पणी लेखन करनी चाहिए।
4. हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम क क्षेत्र को 70% ख क्षेत्र को 60% ग क्षेत्र को 30% करना चाहिए।
5. हिन्दी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भती 'क' क्षेत्र 80% 'ख' क्षेत्र 70% 'ग' क्षेत्र 40%
6. हिन्दी में डिक्टेसन/की बोर्ड पर सीधे टंकण 'क' क्षेत्र 65% 'ख' क्षेत्र 55% 'ग' क्षेत्र 40%
7. हिन्दी प्रशिक्षण (भाषा टंकण आशुलिपि) 'क' क्षेत्र 100% 'ख' क्षेत्र 100% 'ग' क्षेत्र 100%
8. द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना (भाषा टंकण आशुलिपि) 'क' क्षेत्र 100% 'ख' क्षेत्र 100% 'ग' क्षेत्र 100%
9. हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय हिन्दी 'क' क्षेत्र 50% 'ख' क्षेत्र 50% 'ग' क्षेत्र 50%
10. उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद 'क' क्षेत्र 100% 'ख' क्षेत्र 100% 'ग' क्षेत्र 100%
11. वेबसाइट द्विभाषी हो 'क' क्षेत्र 100% 'ख' क्षेत्र 100% 'ग' क्षेत्र 100%
12. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो 'क' क्षेत्र 100% 'ख' क्षेत्र 100% 'ग' क्षेत्र 100%
13. मुख्यालयों में स्थित अनुभागों का निरीक्षण क क्षेत्र 25% 'ख' क्षेत्र 25% 'ग' क्षेत्र 25%
14. राजभाषा संबंधी बैठकें 'क' हिन्दी सलाहकार समिति वर्ष में 2 बैठकें 'ख' नगर राजभाषा कार्यन्वयन समिति (वर्ष में 2 बैठकें प्रति छाहरी एक बैठक) 'ग' राजभाषा कार्यन्वयन समिति (वर्ष में 4 बैठकें प्रति तिमाही एक बैठक)
15. कोड़, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया, और साहित्य का हिन्दी अनुवाद 'क' क्षेत्र 100%

अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।

मन्त्री सिंह

सहायक कुलसचिव (प्रशा.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. समस्त उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव
3. समस्त अनुभाग अधिकारी
4. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करें।
5. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता
6. महिला अध्ययन केन्द्र
7. पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रकाशन विभाग
8. कुलपति/कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव

मन्त्री सिंह

सहायक कुलसचिव (प्रशा.)

Sh. K. G.

B. S.

19/7/18